फाइल सं0 6/19/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

**रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

**दिनांक** 05 **दिसम्बर**, 2011

**वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 17-10-2011 को अपराह्न** 1.00 **बजे** आयोजित 23**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति इसके साथ सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

**(मंगत राम बाली)**

**भारत सरकार के उप सचिव**

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

सचिव के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव के निजी सचिव

**निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-**

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
2. श्री आर.डी. चन्द्रहास, निदेशक(एसएसडब्ल्यू/एपीसीआर)-चार प्रतियां
3. श्री मंगत राम बाली, उप सचिव (प्रशासन)/समन्वय प्रकोष्ठ)

**(मंगत राम बाली)**

**भारत सरकार के उप सचिव**

## रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 17-10-2011 को माननीय अध्यक्ष के आफिस चेम्बर में आयोजित 23वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

**कार्यसूची की मद संख्या 1:** **अनुसूचित जातियों पर अत्याचार और उनके सामाजिक–आर्थिक विकासः "मुद्दे और चुनौतियां" पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को विज्ञान भवन, हॉल संख्या 5 में एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन ।**

माननीय अध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों पर अत्याचार और उनके सामाजिक-आर्थिक विकासः "मुद्दे और चुनौतियां" पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को विज्ञान भवन, हॉल संख्या 5 में एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन करने के संबंध में प्रगति का जायज़ा लेने और उस पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से 23वीं आपात बैठक बुलाई है । बैठक में माननीय सदस्य (श्री शिवाना), संयुक्त सचिव, निदेशक(एसएसडब्ल्यू एवं एपीसीआर), माननीय अध्यक्ष के विशेष-कार्य अधिकारी, उप सचिव (प्रशासन) तथा अवर सचिव (एपीसीआर) उपस्थित थे (उपस्थिति सूची कार्यवृत्त के अन्त में संलग्न है) ।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन के संबंध में की गई प्रगति का जायज़ा लेते समय निम्नलिखित को अवलोकित किया:

(i) विज्ञापन पर व्यय की पूर्ति सहित सम्मेलन पर होने वाले व्यय को वहन करने के संबंध में उपयुक्त प्रायोजक उपलब्ध होने की सम्भावना का अन्वेषण किया जाए । इस संबंध में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को पत्र भेजा जाए । (**कार्रवाईः श्री ए.के. सिंह**, **अनुभाग अधिकारी और श्री ए. भट्टाचार्य**, **वरिष्ठ अन्वेषक**) **।**

(ii) सम्मेलन के दौरान वितरण हेतु नोटपैड्स/बैगों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नाम और लोगो होना चाहिए । (**कार्रवाईः श्री ए.के. सिंह**, **अनुभाग अधिकारी और श्री ए. भट्टाचार्य**, **वरिष्ठ अन्वेषक**) **।**

(iii) संबंधित कार्यदल को निवासी आयुक्त के कार्यालय को कार्य के लिए ले रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आने वाले मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रस्तावित सम्मेलन में सम्यक् रूप से उपस्थित हों । (**कार्रवाईः श्री पी.एस. मेहता**, **अनुसंधान अधिकारी और श्री ए.पी. गौतम**, **अनुसंधान अधिकारी**) **।**

(iv) निम्नलिखित आधाररेखा सूचना/डेटा पर आधारित कार्यसूची मद तैयार करना । **(कार्रवाईः संयुक्त सचिव और राज्य निदेशकों अर्थात् पुणे, चंडीगढ़ और लखनऊ के निदेशकों के परामर्श से श्री के. कंवर, अनुभाग अधिकारी, श्री पी.एस. मेहता, अनुसंधान अधिकारी और श्री ए.पी. गौतम, अनुसंधान अधिकारी) :**

(क) पिछले पांच वर्षों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति जनसंख्या की तुलना में एससीएसपी निधि को राज्यवार निश्चित किया जाना । निधियों को निश्चित किए जाने के पैटर्न की पहचान की जानी है और क्या निधियों का आबंटन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुकूल है या नहीं ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति जनसंख्या की तुलना में एससीएसपी निधि के संबंध में राज्यवार व्यय । निधियों के व्यय के पैटर्न की पहचान की जानी है और क्या निधियों का व्यय, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त है या नहीं ।

(ग) पुलिस द्वारा दर्ज मामलों, विशेष न्यायालयों द्वारा रिहाई/दोषसिद्धि में बंद किए गए मामलों, न्यायालयों में लम्बित मामलों, पुलिस इत्यादि द्वारा लम्बित जांच तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय तथा राज्य कार्यालयों में लम्बित मामलों की सूची तैयार की जानी चाहिए ।

(घ) राज्यों का 'सेवा/शिक्षा में आरक्षण', 'सामाजिक-आर्थिक विकास' और 'अत्याचार' संबंधी निष्पादनों पर आधारित श्रेणीकरण भी तैयार किया जाए ।

(v) दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को सम्मेलन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी चाहिए जिसमें न्यूज रिपोर्टरों को कार्यसूची सहित उत्तम क्वालिटी के बैग और अन्य किट्स प्रदान किए जाएंगे । **(कार्रवाईः श्री ए.के. सिंह, अनुभाग अधिकारी और श्री ए. भट्टाचार्य, वरिष्ठ अन्वेषक) ।** इसके परिणामस्वरूप सम्मेलन के समाप्त होने के बाद एक और प्रेस मीट, मीडिया कक्ष, विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी ।

(vi) वर्ष 2010-11 के दौरान आयोग द्वारा की गई मुख्य उपलब्धियों पर विशेष बल देने तथा सम्मेलन के संबंध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए जाने चाहिए ।

2. दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को सम्मेलन आयोजित करने से संबद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के अलावा माननीय अध्यक्ष ने यह भी इच्छा की कि "न्यायालय में राज्यों की राज्यों

के विरुद्ध मुकदमेबाजी" शीर्षक के साथ माननीय अध्यक्ष की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को एक अ.शा. पत्र भेजा जाना चाहिए । अपने उद्देश्य का विस्तार करते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहां "राज्य" अर्थात् केन्द्रीय या राज्य सरकार के संगठन, न्यायालयों में अन्य राज्य संगठनों के निर्णय के विरुद्ध मुकदमेबाजी कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें यद्यपि बाध्यकारी नहीं हैं परन्तु निकट अतीत में कई दृष्टांत हैं जहां एम.सी.डी., बी.एस.एन.एल., के.बी.सी. इत्यादि जैसे संगठन आयोग के निर्णयों को चुनौती देने के लिए न्यायालय में गए । माननीय अध्यक्ष ने पाया कि यह मात्र सार्वजनिक धन की बर्बादी है जिससे बचा जा सकता है । (**कार्रवाई: श्री पी.एस. मेहता**, **अनुसंधान अधिकारी और श्री वाई.के. बंसल**, **अनुसंधान अधिकारी**) **।**

3. <u>**अनुवर्ती विकास**</u>

यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाए और उससे पहले दिनांक 16-12-2011 को अनुसूचित जाति विकास के क्षेत्र में कार्यरत सेवा एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर विचार-विमर्श किया जाए ।

इसके परिणामस्वरूप, गैर-सरकारी संगठनों, सेवा एसोसिएशनों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के विचार लेने के बाद राज्य स्तर के सम्मेलन की कार्यसूची तैयार की जा सकती है तथा बाद में उस आधार पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**) **।**

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

**<u>अनुबंध -I</u>**

**रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 17-10-2011 को अपराह्न 1.00 बजे माननीय अध्यक्ष के आफिस चेम्बर में आयोजित 23वीं बैठक ।**

**<u>उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी</u>**

***<u>क्र.सं.</u>*** ***<u>नाम एवं पदनाम</u>***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

**<u>अधिकारी</u>**

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव